



UTTAR PRADESH POLICE

“सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा”



प्रेस नोट-02.02.2021

काइम ब्रान्च टीम व थाना दक्षिण पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।

काइम ब्रान्च व थाना दक्षिण पुलिस की हुई अपहरणकर्ता से मुठभेड़, मुख्य अपहरणकर्ता के लगी पैर में गोली, अपहरण के प्रकरण का हुआ पर्दाफास, अपहरण में शामिल महिला सहित 05 व्यक्ति गिरफ्तार।

- मुख्य अपहरणकर्ता पर अपनी बुरी आदतों की लतों के कारण हुआ था अत्यधिक कर्जा।
- अधिक पैसे की लालसा में अबोध बच्चों के अपहरण की खतरनाक वारदात को दिया अन्जॉम।
- मकान मालिक व अपने अन्य साथी को रूपयों का प्रलोभन देकर किया अपने मंसूबे में शामिल।
- पुलिस द्वारा सावधानी पूर्वक त्वरित कार्यवाही न होने पर कर सकते थे दोनों मासूमों की हत्या।

दिनांक 31.01.2021 थाना दक्षिण क्षेत्रान्तर्गत 02 मासूम बच्चों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण की सूचना प्राप्त हुई, उक्त सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये अपर पुलिस अधीक्षक, नगर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर व टूण्डला के नेत्रत्व में काइम ब्रान्च टीम व थाना दक्षिण पुलिस की टीमों को बच्चों की सकुशल बरामदगी कर अपहरण कर्ताओं की शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के क्रम में मासूमों की बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये जनपद व जनपद के आस-पास के जनपदों में अपहरण कर्ताओं की तलाश किये जाने के साथ ही तकनीकी साक्ष्यों की मदद लेते हुये मात्र 06 घण्टें के अन्दर ही दोनों मासूमों को सकुशल बरामद कर लिया गया था किन्तु अपहरणकर्ता मौके का फायदा उठाकर बच निकले।

फरार अपहरण कर्ताओं की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुये गिरफ्तारी हेतु लगाई गई टीमों का निर्देशन किया गया उक्त के निर्देशन में दिनांक 02.02.2021 को पुलिस टीमों को उस समय सफलता प्राप्त हुई जब जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दोनों मासूमों का मुख्य अपहरणकर्ता अपने साथी से मिलने हिमायूपुर आने वाला है यदि जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है, उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचे तभी मुख्य अपहरण कर्ता सी0एल0 जैन कॉलेज से हिमायूपुर को जाने वाले रास्ते पर स्पैलण्डर बाईक पर आता हुआ दिखाई दिया पुलिस टीम द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया किन्तु अपहरणकर्ता द्वारा पुलिस टीम को देखते ही जान से मारने की नीयत से फॉयर करना शुरू कर दिया पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फॉयर कर अदम्य साहस का परिचय देते हुये अपहरणकर्ता को उसके पैर में गोली लगने के उपरान्त पकड़ लिया गया। अपहरण कर्ता द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फॉयर करने व अवैध असलाह की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दक्षिण पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तारशुदा मुख्य अभियुक्त अभय जादौन से पूछताछ की गई तो बताया कि उसके माता-पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गयी थी तदोपरान्त वह ग्लोरी स्कूल सिकन्दरा के मालिक के यहां रहकर चपरासी का कार्य करते हुये इण्टरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण किया और उसी स्कूल में पढ़ाने वाली एक अध्यापिका से मई 2020 में शादी कर ली शादी के दौरान कई लोगों से पैसे उधार लिये जो अपने पैसे वापस मांग रहे थे और इसके पास वापस करने को पैसे न होने के कारण उसने यह बात अपने बचपन के दोस्त हिमान्यू धाकरे को बताई तो हिमान्यू ने इससे किसी बच्चे का अपहरण कर फिरौती की सलाह दी तो अभय द्वारा पूछा गया कि बच्चे को अपहरण के बाद कहीं छुपाया जायेगा और फिरौती कैसे वसूली जायेगी, तो हिमान्यू ने बताया कि तुम बच्चे अपहरण कर के ले आओ उसके बाद का सारा काम हम कर लेंगे। इसके बाद अभय फिरोजाबाद आया और उसने भीम नगर गली न0-02 के रहने वाले सतीश चन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद से सम्पर्क कर पूरी योजना को बताया तो सतीश भी अपहरण की योजना में शामिल हो गया और उसने पडौस में रहने वाली रीता राजपूत पत्नी बब्लू राना व बब्लू राना पुत्र ओमप्रकाश को यह बात बताई और अपने मकान में एक कमरा देने के लिये कहा जिस पर यह दोनों राजी हो गये और बिना किसी किराये के एक कमरा दे दिया, इन सभी के द्वारा योजना बनाई गयी कि बच्चों को लेकर अभय आगरा चला जायेगा फिर हिमान्यू रीता राजपूत के मोबाईल न0 पर कॉल कर के फिरौती की मांग करेगा। जिसके बाद अभय ने मकान के सामने रहने वाले योगेश पुत्र विपिन (उम्र-03 वर्ष) व कुनाल पुत्र प्रेम चन्द्र, (उम्र-05 वर्ष) नि0-भीमनगर, गली न0-02, थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद को टॉफी, कच्चा व खाने-पीने के सामान रोजाना देकर उनसे हिल-मिल गया तथा दिनांक 31.01.2021 को

मौका मिलते ही दोनों मासूमों को लेकर आगरा पहुंचा और अपने दोस्त हिमान्यू को बुला लिया, हिमान्यू ने आकर दोनों बच्चों सहित अभय को मोटर साईकिल पर बैठाकर बच्चों को रखने के लिये कई जगह तलाश किया परन्तु सही ठिकाना नहीं मिल पाया और रीता राजपूत के फोन पर हिमान्यू द्वारा फिरौती की मांग करने हेतु फोन मिलाया गया तो फोन बन्द आया तो शक हो गया कि इन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और भगवान टॉकीज के पास चैकिंग व पुलिस की गाड़िया देखकर डर गये व बच्चों को वहीं छोड़कर भाग गये। शेष अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है व विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त:-

1. अभय जादौन पुत्र स्व० लक्ष्मण प्रसाद, नि०-सरस्वती कुंज, गोविन्दपुर, थाना-गोविन्द नगर, मथुरा। हाल पता:-मनीष जैन का मकान, नई आबादी, बॉम्बे बजार, बोदला, थाना-जगदीशपुरा, आगरा।
2. हिमान्यू धाकरे पुत्र दरब सिंह धाकरे, नि०-03/259, मो० धाकरान, थाना-नाई की मण्डी, आगरा।
3. सतीश चन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद, नि०-गली न०-02, भीमनगर, थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद।
4. रीता राजपूत पत्नी बल्लू राना, नि०- गली न०-02, भीमनगर, थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद।
5. बल्लू राना पुत्र ओमप्रकाश, नि०- गली न०-02, भीमनगर, थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद।

बरामदगी:-

1. अवैध तमन्चा 315 बोर -01 अदद।
2. जिन्दा कारतूस 315 बोर -04 अदद।
3. खोखा कारतूस 315 बोर -01 अदद।
4. एच०एफ० डीलक्स मोटर साईकिल -01 अदद।
5. अपहरण हेतु प्रयुक्त एफ०जैड० मोटर साईकिल-01 अदद।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु०अ०स० 54/2021, धारा-364ए भा०द०वि०, थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद।
2. मु०अ०स० 56/2021, धारा-307 भा०द०वि०, (पु०मु०), थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद। बनाव-अभय उपरोक्त।
3. मु०अ०स० 57/2021, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट, थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद।
4. मु०अ०स० 58/2021, धारा-41/102 सीआरपीसी, 411/414 भा०द०वि०, थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद।

गिरफ्तार/खुलासा करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरी० सुशान्त गौड, थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद।
2. निरी० श्री देवेन्द्र शंकर पाण्डेय, काईम ब्रान्च टीम, फिरोजाबाद।
3. प्रभारी एस०टी०एस० हरवेन्द्र मिश्रा, जनपद-फिरोजाबाद।
4. प्रभारी एसओजी कुलदीप सिंह, फिरोजाबाद।
5. व०उ०नि० अजय चक, थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद।
6. मु०आरक्षी 715 सुरेन्द्र सिंह, थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद।
7. आरक्षी 760 अशोक कुमार, थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद।
8. आरक्षी 1330 योगेन्द्र सिंह, थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद।
9. आरक्षी 568 सन्तोष कुमार, थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद।
10. सर्विलान्स टीम:- 1. है०का० 673 आशीष शुक्ला, 2. आरक्षी 1361 अमित उपाध्याय, 3. आरक्षी 1337 मुकेश कुमार 4. आरक्षी 118 रघुराज सिंह 5. आरक्षी 821 अनिल गुप्ता।
11. एस०टी०एस० टीम:- 1. आरक्षी लव प्रकाश 2. प्रवीन कुमार, 3. प्रेम कुमार, 4. रविकान्त।

नोट:-श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोदय द्वारा घटना का अनावरण करने वाली टीम के उत्साहवर्धन हेतु 25 हजार रुपये की नगद धनराशि से पुरस्कृत किया गया है।